संख्या- 10 /2017/ 2280/अइतीस-5-2017-27बजट/2017 टी0सी0(1)

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 6 अक्टूबर, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-81)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 474/डब्लू -409/ 2017-18, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू-11020/196/2015-वाटर-। /68, दिनांक 31 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से पेयजल कार्यक्रम के नान एस0सी0एस0पी0-टी0एस0पी0, एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 मद में रू0 15085.61 लाख प्राप्त हुई है। उक्त उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से अनुदान संख्या- 81 के अन्तर्गत कवरेज एवं क्यू0पी0वी0 मद में केन्द्रांश की धनराशि 68.475 लाख तथा उक्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में 68.475 लाख की देयता बनती है। इसी मद में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में शासनादेश संख्या- 312/अडतीस-5-2012-27 बजट/ 2017(1) दिनांक 25 अप्रैल, 2017 द्वारा कुल रू0 11.719 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी। उक्त निर्गत की गयी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात केन्द्रांश एवं राज्यांश के मद में कुल रू0 125.231 लाख की देयता बन रही है, किन्तु अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अन्य शासनादेशों द्वारा स्वीकृति जारी होने के उपरान्त रू0 65.585 लाख की धनराशि अवशेष है। अतएव अनुदान संख्या -81 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से केन्द्रांश और उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में कुल धनराशि रू0 65.585 लाख (रूपये पैसठ लाख अटठावन हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक	प्राप्त केन्द्रांश	मैचिंग राज्यांश	वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्गत धनराशि के सामायोजन के उपरान्त अवशेष केन्दांश के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्गत केन्द्रांश	वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्गत धनराशि के सामायोजन के उपरान्त अवशेष राज्यांश के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्गत राज्यांश	कुल अवमुक्त धनराशि (कालम 5+6)
1	2	3	4	5	6	7
81	Coverage & QPV	68.475	68.475	32.792	32.793	65.585
	Total	68.475	68.475	32.792	32.793	65.585

(रूपये पैसठ लाख अटठावन हजार पॉच सौ मात्र)

(I) धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोग्राम फण्ड/ सपोर्ट फण्ड में जमा की जायेगी एवं यथावश्यकता सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जायेगी।

(III) उक्त वित्तीय स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेशों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(IV) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा उसका व्यय उन्ही मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(V) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ -0101- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-8/2017 बी-1-1190/ दस-2017-231/2017, दिनांक 3 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 10 /2017/ 2280(1)/अइतीस-5-2017-27 बजट/2017टी0सी0 (1), तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2017 के क्रम में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10)समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन।
(11) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।